



Estd.1917

पटना विश्वविद्यालय PATNA UNIVERSITY

NAAC Accredited B+ Grade

आधिकारिक

- I- निदेशानुसार सूचित करना है कि पटना विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत वैयो सभी शिक्षक/कर्मी जिन्होंने किसी भी मद में व्यय हेतु पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह या उससे अधिक अवधि से अग्रिम लिया है, जिसका सामंजन हेतु अभी तक व्यय विवरणी नहीं दी गई है तो उन्हें पत्र निर्गत होने की तिथि से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर व्यय राशि विवरणी हस्तगत कराना अनिवार्य है। उक्त अवधि में अग्रिम की व्यय विवरणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनके वेतन से अग्रिम राशि की वसूली कर ली जायगी।
- II- वर्तमान में जिस कर्मी के द्वारा भी अग्रिम राशि प्राप्त किया जा रहा है, उन्हें अग्रिम प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर अग्रिम राशि के सामंजन हेतु व्यय विवरणी हस्तगत कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में उस कर्मी के वेतन से अग्रिम राशि की वसूल कर ली जायगी।
- III- ऐसा पाया जा रहा है कि स्वीकृत अग्रिम राशि से अधिक/बहुत अधिक का बिल-विपत्र दिया जाता है जो अवित नहीं है। अतः यह भी निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत अग्रिम राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

कुलपति के आदेश से

M.K.Singh
26-3-2025
कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक ...A/C/A/C-512

दिनांक ...26.03.2025

प्रतिलिपि - 1. सभी विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग, पटना विश्वविद्यालय, 2. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय, 3. सभी महाविद्यालयों के प्रधानानार्थ, पटना विश्वविद्यालय, 4. सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना 5. अधीक्षक, पटना विश्वविद्यालय मुद्रणालय, 6. परीक्षा नियंत्रक, पटना विश्वविद्यालय, पटना, 7. मुख्य विकित्सा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय औषधालय, पटना, 8. अधीक्षक, पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय, 9. कुलपति के निजी सचिव, पटना विश्वविद्यालय 10. कुलसचिव के नीजी सचिव, पटना विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आतशक कार्यार्थ प्रेषित।

M.K.Singh
26-3-2025
कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय, पटना

M.K.Singh
26/3/25